

24.02.25

2022

न जारी हुए

दुर्घटना प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अनर्गल
 द्वारा 25.11.2014 में प्राप्त कर चक 32 NDR
 प.न. 98/346 सु.न. 18 कि.न. 21/2 में दक्षिण
 दिशा में 5 फीट चौड़ा, प.न. 98/346 कि.न.
 22 में दक्षिण तरफ 5 फीट चौड़ा, प.न. 98/346
 कि.न. 23 में दक्षिण में 5 फीट चौड़ा, प.न. 98/346
 सु.न. 18 कि.न. 15/1, 16 में 10 फीट पूर्वी ओर रास्ता
 चक 4 ARWA प.न. 95/340 (26) कि.न. 16, 17,
 18 में दक्षिण ओर 8 फीट चौड़ा चक 32 NDR प.न.
 98/347 सु.न. 21 कि.न. 4, 5 में उत्तरी तरफ
 पूर्व से पश्चिम 5 फीट चौड़ा रास्ता, चक 32 NDR
 प.न. 98/347 सु.न. 21 कि.न. 1, 2, 3 में उत्तरी
 तरफ पूर्व से पश्चिम 5 फीट चौड़ा रास्ता
 स्वीकृत किए जाने का निवेदन किया।

हस्तगत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार दुर्गागढ
 से मौका रिपोर्ट लम्बे की गई। R/A 25/1(3)
 की कार्यवाही एक संबंधित विचारण है जिसकी
 मंशा यह है कि कार्रवाइयों की अपनी जोत
 तक पहुंच डेसु निर्वाह कर से रास्ता उपलब्ध
 हो सके। हस्तगत प्रार्थना पत्र के निस्तारण
 डेसु निम्न बिंदुओं का विवेचन किया गया -

1. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव।
3. नया मार्ग लक्षुतम कद से है।

पशावली में मौजूद प्रार्थना पत्र, नजरी क्वशा व
 तहसीलका दुर्गागढ से पत्रांक 506 दिनांक
 28/2024 द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट का
 अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट में
 भू.अ.नि. चौटियावाली द्वारा प्रार्थना की भूमि
 का कर्तव्य अंकित करने हुए अपनी रिपोर्ट

को चक 32 NDR प.न. 98/346(18) कि.न.
 21/2, 22, 23, 24 के दक्षिण तरफ 5 फीट
 चौड़ाई में रास्ता, प.न. 98/347 (21) कि.न.
 11, 2 ता 4 के उत्तरी तरफ 5 फीट चौड़ा
 रास्ता एवं चक 4 ARW-A प.न. 95/340 (26)
 कि.न. 16, 17, 18 दक्षिण तरफ 8 फीट चौड़ा
 रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है जबकि
 चक 32 NDR प.न. 97/346(19) कि.न. 15/1,
 16/1 पूर्वी तरफ 10 फीट चौड़ा रास्ता स्वीकृत
 किया जाना उचित नहीं है क्योंकि प्रश्नगत
 भूमि पहले से ही स्वीकृत भूखण्ड रास्ते पर स्थित
 है प्रश्नगत भूमि व स्वीकृत रास्ते के मध्य
 में मु. खाजा बना है जिस पर समझौता स्वीकृति
 अंशतः पुलिसिया बसाकार आवागमन किया जा
 सकता है

पयावली का अलोकन किया गया। वस्तु
 वासी/पार्सी फस सडनी गई। पार्सी को अपनी जेते
 में पड्डेय हेडु स्वीकृत रास्ता नहीं है इसलिए
 पार्सिया पय प्रथिगण आंशिक रूप से मुताबिडु
 तलसीलकार रिपोर्ट के स्वीकार किया जाता है
 कि चक 32 NDR प.न. 98/346(18) कि.न.
 21/2, 22 ता 24 के दक्षिण तरफ 5 फीट चौड़ा
 प.न. 98/347 (21) कि.न. 11, 2 ता 4 के उत्तरी
 तरफ 5 फीट चौड़ा रास्ता एवं चक 4 ARW
 A प.न. 95/340(26) कि.न. 16 ता 18 दक्षिण
 तरफ 8 फीट चौड़ाई में स्वीकृत किया जाता है
 तलसीलकार हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता
 है कि कोई स्थगन या न्यायिक विवाद ना हो
 तो 25-रु(2) में उक्त रास्ता का अकन बनाने
 जे. मु. रास्ता (सिवाय चक) कर्ज राजस्व रिमांड
 किया जावे आदेश सुनाया जाकर पयावली को लिख
 कपार की जाती है

प्रशासक पयावली को लिख
 एवं उपखण्डाधिकारी
 मानसगढ